


न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
17/12/15	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक अपीलांत उप० अभिभाषक अपीलांत ने निवेदन किया कि वे अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, इसलिये पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे ।</p> <p>अतः विद्वान वकील अपीलांत के निवेदन पर पत्रावली खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर के आदेश दिये जाते हैं।</p>	<p>No. Instruction PK</p> <p></p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>